

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठरीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठरीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्ता चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

बनाम शांति देवी पत्नी मन्जू देवी पत्नी धर्मराज
पति भागी १० भादरा हात पिपाही
पिपाही परवेडा १० डववाली, पिपाहा
बनाम मन्जू देवी पत्नी रामचन्द्र पति
पिपाही वि० नो० ३६
३६ रात
दादा बाबत -
मुकदमा नम्बर :- ३१/२३
निर्णय दिनांक :- २५-५-२३


वादी की ओर से वकील एड. सुब्रह्मण्यम की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील

एड. मुत्तियार विजापति की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख २५/५/२३ को मुझ शकुन्ता चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

राही भोजा चड ४ धारानी डे
रवाहासण ३/६ डे मु० न० ६५ डे डिता न० १३/२, १४/२, १५/२, २०/२, २५/२
मु० न० ४५ डे डिता न० २५, मु० न० ४६ डे डिता न० २१/२
मु० न० ४९ डे डिता न० १/२, १०, मु० न० ५० डे डिता न० ५, ६,
डो डुठ १.६२९० में भुली पत्नी भुरलीधर डे नाम २३/८१५
दिव्या राजव रिहाड में दर्ज है में भुली देवी पत्नी भुरलीधर
डा नाम उत्तमपत्त रिहा जाहल उमडे ल्पान पर वारीच
मन्जू देवी पत्नी रामचन्द्र डो रवाहास डारहास धाधिः रिप
जाहा धे धधि भूमि वेंड रहन है हो रहन मुठ होने डे वाद
उपरोक्ताउमार राजव रिहाड में अमतादायद रिहा जावें
रर्वा वाद उधमपत्तगातर अपना-अपना पहन करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक २५-५-२३ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


शिकार प्रसादी
(न्यायालय अधिकारी)